

**—:: साक्षात्कार सूचना ::—**

“बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त सूची के कम में पात्र लाभार्थियों का चयन करने हेतु जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति के समक्ष **दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को विकास भवन सभाकक्ष में अपराह्न-12.30 बजे** से साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। जिसमें साक्षात्कार उपरान्त जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। अतः समिति के सदस्यों से अनुरोध कि ससमय साक्षात्कार में उपस्थित होने का कष्ट करें।


(विनय कुमार तिवारी)  
जिला विकास अधिकारी,  
श्रावस्ती।

**जिला विकास कार्यालय—श्रावस्ती।**

पत्रांक ९३५० / एवीआरवाई / ला०—साक्षा० / सूचना / 2021 दिनांक ०९ नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं साक्षात्कार में प्रतिभाग करने हेतु।

- 1— जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी—श्रावस्ती।
- 2— उपायुक्त, स्वतः रोजगार—श्रावस्ती।
- 3— मुख्य पशुचिकित्साधिकारी—श्रावस्ती।
- 4— जिला कृषि अधिकारी—श्रावस्ती।
- 5— जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)—श्रावस्ती।
- 6— जिला प्रबन्धक, कौशल विकास मिशन—श्रावस्ती।
- 7— जिला उद्यान अधिकारी—श्रावस्ती।
- 8— सहायक निदेशक, रेशम—श्रावस्ती।
- 9— सहायक निदेशक, मत्स्य—श्रावस्ती।
- 10— जिला प्रबन्धक, नाबार्ड—श्रावस्ती / बहराइच।
- 11— अग्रणी जिला प्रबन्धक, श्रावस्ती।
- 12— प्रबन्धक, रूरल सेल्फ इम्प्लायमेन्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट(आरसेटी)—श्रावस्ती।
- 13— महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र—श्रावस्ती।
- 14— प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—श्रावस्ती।
- 15— समस्त सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) को इस निर्देश के साथ कि उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार लाभार्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें लिखित रूप से अवगत कराते हुए लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित रहें। द्वारा—खण्ड विकास अधिकारी—श्रावस्ती।
- 16— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद—श्रावस्ती को इस निर्देश कि अपने स्तर से भी सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) आदेशित कर दें तथा स्वयं भी प्रतिभाग करें।
- 17— जिला सूचना अधिकारी, श्रावस्ती को उक्त सूचना दैनिक समाचार—पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।
- 18— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, श्रावस्ती को इस आशय से उक्त का जिला के बेवासइट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
- 19— मुख्य विकास अधिकारी महोदय, श्रावस्ती की सेवा में सूचनार्थ।
- 20— जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती की सेवा में अवलोकनार्थ।

  
जिला विकास अधिकारी,  
श्रावस्ती।